राजस्व मण्डल (36)

(193)

<u>न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)</u>

R-2326-I/12

1. मुस. बंसती बेबा स्व. लल्लू गिरी उम्र–75 वर्ष,
2. बैद्यनाथ गिरी उम्र–45 वर्ष पेशा–वकालत,
3. समयलाल गिरी उम्र–43 वर्ष पेशा–खेती,
4. इन्द्राज गिरी उम्र–40 वर्ष पेशा–खेती,
5. शास्त्री गिरी उम्र–35 वर्ष पेशा–खेती,
6. राकेश गिरी उम्र–32 वर्ष पेशा–खेती,

(2 से 6) पिसरान स्व. श्री लल्लू गिरी

7. श्रीमती रामकली गिरी पत्नी ढकेलू गिरी उम्र–44 वर्ष पेशा–गृहकार्य,
8. श्रीमती बड़े गिरी पत्नी बाबूलाल गिरी उम्र–37 वर्ष पेशा–गृहकार्य,
9. श्रीमती सरोज गिरी पत्नी दयाशंकर गिरी उम्र–37 वर्ष पेशा–गृहकार्य,
10. श्रीमती प्रेमवती गिरी पत्नी भुअर गिरी उम्र–30 वर्ष पेशा–गृहकार्य
11. भगवान तनय स्व. श्री जगपति गिरी उम्र–61 वर्ष पेशा–खेती,
12. श्रीमती श्यामवती पत्नी धर्मराज गिरी उम्र–38 वर्ष पेशा–गृहकार्य

सभी निवासी ग्राम–बरिगवां तहसील–चुरहट जिला–सीधी (म.प्र.)

..............................पुनरीक्षणकर्तागण

<u>बनाम</u>

1. म.प्र. शासन,
2. ददुदी पिता अदेनवा कोल उम्र–55 वर्ष पेशा–खेती निवासी ग्राम–बरिगवां तहसील–चुरहट जिला–सीधी (म.प्र.)

....................................उत्तरार्थीगण

23.7.12

आवक प्रवाचक शाखा 18/6/12

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील चुरहट जिला–सीधी के राजस्व प्रकरण क्र. 91/अ–12/2005–06 में पारित आदेश दिनांक–19.03.2012

कमिश्नर कार्यालय रीवा, न्याय. रीवा से प्राप्त 20-6-12

(36)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

निग.2326-II / 2012 जिला–सीधी

श्रीमती बसंती वगैरः / शासन, दद्दी कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 91 / अ–12 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चुरहट के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2. यह प्रकरण दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चुरहट के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	